बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

Best Practices of Department

Sl. No.	Topic
1.	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना
2.	अल्पसंख्यक बालक/बालिका छात्रवास योजना
3.	मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना (कौशल विकास)
4.	केन्द्र प्रायोजित छात्रवृत्ति योजना
5.	मुस्लिम महिला तलाकशुदा/परित्याक्ता योजना
6.	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना

1. **मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनाः—** राज्य योजनान्तर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित प्रवेशिका परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक समुदाय यथा—मुस्लिम, सिख, जैन, इसाई, बौद्धे घर्मावलम्बी छात्र—छात्राओं को मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत आगे की पढ़ाई सुचारू ढंग से जारी रखने हेतु क्रमशः 10,000/—रुपये एवं 8,000/—रुपये एकमुश्त राशि आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। उक्त योजनान्तर्गत शैक्षणिक वर्ष 2014 से प्रवेशिकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण मुस्लिम छात्राओं को क्रमश 15,000/— एवं 10,000/—रुपये की जा रही है, जिसका उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं का शैक्षणिक विकास करते हुए उनका सशक्तिकरण करना है।

प्रवेशिका एवं प्रवेशिकोत्तर उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं की सूची बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मांग कर जिलावार सूची तैयार कर जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय को उपलब्ध कराया जाता है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा लाभुकों को राशि का वितरण किया जाता है।

<u>वर्तमान व्यवस्था</u>

पूर्व में लाभुकों को अनुमान्य राशि का भुगतान चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाता था, जिसमें अनेक प्रकार की कठिनाईयॉ थी और भुगतान में विलंब भी होता था। वर्तमान में योजनान्तर्गत लाभुकों को एक मुश्त प्रोत्साहन की राशि DBT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाता में राशि अंतरण किया जा रहा है।

2. **अल्पसंख्यक बालक/बालिका छात्रावास योजना** :— अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने में उनका आर्थिक अथवा समाजिक पिछड़ापन बाधा न बनें इस हेतु राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक बालक/बालिका छात्रावास योजना चलायी जा रही है।

योजनान्तर्गत प्रत्येक जिला में 100 शैय्या वाले सभी आधारभूत सुविधाओं से युक्त बालक/बालिका छात्रावास का निर्माण कराया जाना है। वर्त्तमान में विभिन्न जिलों में कुल 25 अल्पसंख्यक छात्रावास संचालित है। संचालित छात्रावासों में पुस्तकालय, पत्र/पत्रिका, जेनरेटर, शुद्ध पेय जल आदि की समुचित व्यवस्था की गयी है। अल्पसंख्यक छात्रावासों को "छात्र मार्गदशक केन्द्र (Student Guidance Centre) के रूप में विकसित करने की योजना है।

छात्रावास में मान्यता प्राप्त उच्च विद्यालय/विश्वविद्यालय/तकनीकी संस्थान में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है।

3. **मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना (कौशल विकास)**:– राज्य के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवक/युवतियों को उनके रूची के अनुरूप विभिन्न ट्रेडों में रोजगारपरक प्रशिक्षण दिला कर आत्मनिर्भर बनाने हेतु मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना का प्रारंभ किया गया है।

प्रशिक्षण के दरम्यान प्रशिक्षणार्थियों को 1500/–रुपये प्रतिमाह वजिफा (Stpind) दिया जाता है। प्रशिक्षणोंपरांत 70 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नियोजन कराया जाता है एवं स्वरोजगार की इच्छा रखने वाले को बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माध्यम से असान दर पर ऋण उपलब्ध करायां जाता है।

वर्त्तमान में Central Institute of Plastics Engineering and Technology, हाजीपुर Tool Room & Training Centre (MSME), पटना एवं रेमण्ड लि0, पटना जैसे देश के अग्रणी प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु विज्ञापन के माध्यम से आवेदन प्राप्त किया जाता है।

<u>प्रशिक्षण पूर्णतः निःशूल्क एवं आवासीय है।</u>

4. **केन्द्र प्रयोजित छात्रावृति योजना** :– इस योजना के तहत वर्ग 1 से वर्ग 10 के लिए प्री–मैट्रिक , वर्ग 11 एवं उससे उपर के लिए पोस्ट–मैट्रिक एवं तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठयक्रम हेतु मेरिट–कम–मिन्स छात्रवृति योजना चलायी जा रही है। इस योजना के तहत छात्रों द्वारा www.scholarship.gov.in पर ऑन लाईन आवेदन दिया जाता है। प्राप्त आवेदनों को समीक्षोपरांत लक्ष्य के अनुसार आवेदन स्वीकृत कर अनुमान राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में केन्द्र सरकार द्वारा DBT के माध्यम से आन्तरित किया जाता है।

5. **मुस्लिम महिला तलाकशुदा/परित्यक्ता योजना**:–गरीब मुस्लिम तलाकशुदा/परित्यक्ता महिलाओं को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता के रूप में एक मुस्त 10,000 उनके बैंक खाते मे DBT के माध्यम से आन्तरित किया जाता है।

परित्यक्ता अल्पसंख्यक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के साथ जोड़े जाने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि लाभान्वित महिलाएँ प्राप्त राशि से स्वरोजगार कर सके।

6. **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना** :– योनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब बेरोजगार युवक/युवतियों को उनके अभिरूची के अनुरूप स्वरोजगार करने हेतु अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ऋण 5 प्रतिशत वार्षिक सधारण ब्याज की दर पर मुहैया कराया जाता है।

योजना की कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लि0, पटना द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर इच्छुक अल्पसंख्यक अभियार्थियों से प्रमंडलीय कार्यालयों में आवेदन प्राप्त किया जाता है। जिलास्तरीय चयन समिति द्वारा लाभुकों के चयन एवं आवश्यक दस्तावेजीकरण के पश्चात् स्वीकृति हेतु निगम को उपलब्ध कराया जाता है। निगम द्वारा स्वीकृत ऋण राशि लाभुकों के बैंक खाता में **RTGS/ NEFT** के माध्यम से अंतरित किया जाता है।

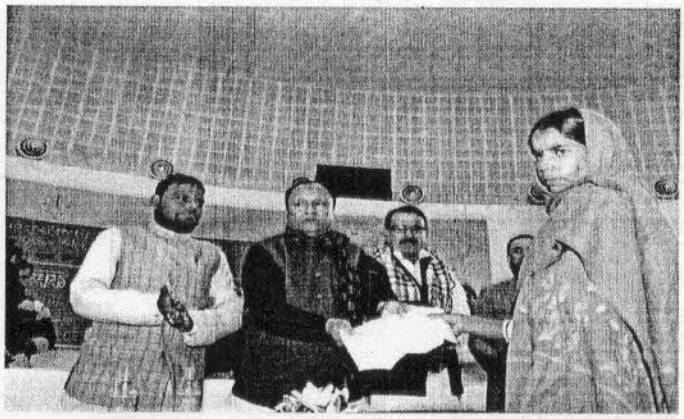

7. **प्रशिक्षणः**– विभाग द्वारा अधिनस्त कार्यालयों एवं विभाग के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के कार्य क्षमता को बनाए रखने हेतु समय–समय पर विभिन्न विषयों पर आधारित प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा हैदराबाद में Transactional Analysis for Interpersonal Effectiveness पर, मनाली में Stress and Time Management पर एवं पटना में Positive work culture पर आयोजित प्रशिक्षण में विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भाग लेकर लाभ प्राप्त किया गया ।

कार्यशाला :– बिहार सरकार द्वारा आयोजित कार्यशाला यथा बिहार महोत्सव, राजगीर महोत्सव आदि में विभाग द्वारा स्टॉल लगा कर विभागीय योजनाओं के संबंध में जनसधारण को जानकारी मुहैया करायी जाती है।

विभागीय योजनाओं के संबंध में आमजन की जनकारी हेतु एक टॉल फ्री न0 की शुरूआत किया गया है।

Help Desk Toll free No. 18003456123

धन्यवाद